न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

डूंगा पिता स्वर्गीय होमा, जाति भील, निवासी फान्दा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
30–01–2019 प्रकरण संख्या 87 / 16

———/———

उपस्थिः– 1– श्री दशरथसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 28–10–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फान्दा, पटवार क्षेत्र तितरड़ी, तहसील गिर्वा में हाल आराजी नंबर 537 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी काबिज होकर आधिपत्यधारी है। वादी को उपजिलाधीश महोदय, उदयपुर द्वारा दिनांक 10–1–1983 को स्थान कानपुर में गांव फान्दा के साबिक आराजी नंबर 337 में 2 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसका आवंटन प्रपत्र संख्या 5 वादी को सिपुर्द कर दिया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 301 से वादी के पक्ष में आवंटित भूमि साबिक आराजी नंबर 337 रकबा 2 बीघा का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, किन्तु उसका अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया। आवंटन दिनांक से वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल आराजी नंबर 537 रकबा 0.4800 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी राज्य सरकार ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 3 तनकियां कायम की गई तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 26–7–2010 को वादी का वाद खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 190/2010 दर्ज की जाकर दिनांक 20–10–2010 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 57/2011 दर्ज किया गया एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 29–09–2011 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 237/2011 दर्ज किया जाकर दिनांक 29–03–2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 30–01–2019 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा पुनः अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राजपुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया है। आवंटन दिनांक से अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा काफी लागत लगाकर भूमि का विकसित किया है एवं कब्जे के संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत की है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट अशिक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:07 IST
Reason: SelfAttested

होने से उसे कानून का ज्ञान नहीं होने से उसको आवंटित भूमि बिलानाम दर्ज हो गयी, जो त्रुटि पूर्ण है। आप न्यायालय द्वारा प्रकरण दो बार रिमाण्ड किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं करते हुए पुनः अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि पहाड़नुमा होकर वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के खातेदारी में दर्ज है तथा मौके पर पड़त पड़ी होकर इस पर कोई फसल नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा दो बार रिमाण्ड किया जा चुका है तथा तीसरी बार प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट/वादी ने वहीं तथ्य उठाये हैं, जो उसके द्वारा पूर्व की अपीलों में उठाये गये थे। प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि विवादित आराजी मगरीनुमा होकर पहाड़ का ढ़लान है तथा इस पर कोई फसल नहीं होती है। साथ ही वर्तमान में विवादित आराजी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के खाते में दर्ज है इसलिए न्यायहित में उन्हें सुना जाना भी आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 30–01–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें सुनकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:07 IST
Reason: SelfAttested